

(2025] 5 एस.सी.आर.

(2025] 5 एस.सी.आर. 974: 2025 आईएनएससी 755

**मेसर्स सूरज इम्पेक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
बनाम
भारत संघ एवं अन्य।**

(सिविल अपील क्रमांक 7089-7090/2025)

22 मई 2025

[बी.वी. नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा*, न्यायमूर्तिगण]

विचारणीय मुद्दे

क्या व्यापारिक निर्यातकों के लिए सीमा शुल्क वापसी के दावे के प्रयोजनार्थ परिपत्र संख्या 35/2010 - सीमाशुल्क दिनांक 17.09.2010 का प्रभाव भूतलक्षी या भविष्यलक्षी है।

शीर्ष बिंदु

सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 अध्याय 23 - केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 परिपत्र संख्या 35/2010-सीमा शुल्क दिनांक 17.09.2010 - उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विषयगत परिपत्र दिनांक 20.09.2010 से प्रभावी होना था, यह भविष्यलक्षी प्रकृति में था:

अभिनिर्धारित: दिनांक 15.03.2013 के परिपत्र को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 17.09.2010 को पिछली अधिसूचनाओं की तुलना में, कोई नया अधिकार या लाभ नहीं बनाया गया, लेकिन अपीलार्थी और इसी तरह के व्यापारिक निर्यातकों को मिलने वाले लाभ का वास्तविक दायरा एक बार और सभी के लिए समझाया और तय किया गया था। उक्त परिपत्र के आधार पर, यह केवल स्पष्ट किया गया था कि पूर्व अधिसूचना के तहत इंगित 1% सीमा शुल्क वापसी का लाभ एसबीएम व्यापारियों को सेनवैट का लाभ उठाने के बावजूद उपलब्ध था। प्रकृति में व्याख्यात्मक होने के कारण, संबंधित परिपत्र को सीमा शुल्क की छूट के लिए एक नए राजकोषीय शासन को अपनाने के रूप में नहीं समझा जा सकता है, जिसका उद्देश्य निहित अधिकारों को प्रभावित करना या विभाग पर नया बोझ डालना है - यह पिछली अधिसूचनाओं के अर्थ और सीमा के बारे में अस्पष्टता को हल करने के लिए पारित किया गया था- इसी कारण से, विभाग द्वारा इस तरह के प्रावधान या निर्देश का संचालन केवल भूतलक्षी प्रकृति का हो सकता है, ताकि सीबीईसी द्वारा जारी

* लेखक

मेसर्स सूरज इम्पेक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य

अधिसूचनाओं के उद्देश्य को प्रभावी किया जा सके। - वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी के तर्क पर पूरी तरह से भरोसा करके एक सरसरी दृष्टिकोण अपनाया कि चूंकि विषयगत परिपत्र दिनांक 20.09.2010 से प्रभावी होना था, इसलिए यह प्रकृति में भविष्यलक्षी था - उच्च न्यायालय ने सीबीईसी परिपत्र के औचित्य और बार-बार विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं के आशय की सराहना नहीं की और दिनांक 17.11.2014 को अनुचित जल्दबाजी में आक्षेपित आदेश पारित कर दिया। तत्पश्चात, उसने समीक्षा याचिका को उसकी दहलीज पर ही खारिज करके, अभिलेख पर स्पष्ट त्रुटि को ठीक करने से भी इनकार कर दिया - इस प्रकार, उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द किया जाता है। अपीलार्थी, अखिल उद्योग दर (एआईआर) शुल्क कटौती के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा जारी परिपत्र संख्या 35/2010- सीमा शुल्क दिनांक 17.09.2010 को भूतलक्षी प्रभाव के अनुसार, वर्ष 2008 से एसबीएम के अपने निर्यात पर 1% एआईआर सीमा शुल्क कटौती के लाभ का हकदार है। [पद 15, 19, 20]

संविधियों की व्याख्या - निष्पक्षता का सिद्धांत - उद्देश्यपूर्ण निर्माण - संविधि की भूतलक्षीता - स्पष्टीकरणात्मक/घोषणात्मक प्रावधान:

अभिनिर्धारित: किसी विधि की भूतलक्षीता का परीक्षण "निष्पक्षता" के सिद्धांत की कसौटी पर किया जाना चाहिए - एक लाभकारी कानून का आधार यह सुनिश्चित करना है कि लाभ एकसमान और पूर्ण हो, जो प्रकृति में भावी हो सकता है, लेकिन जब एक व्यक्ति को ऐसा लाभ दूसरे पर कोई अनुचित बोझ नहीं डालता है, तो उद्देश्यपूर्ण निर्माण को भूतलक्षी प्रभाव दिया जा सकता है - इसलिए यह स्पष्ट करना उचित है कि उन मामलों को छोड़कर जहां ऐसे अधिनियम या परिपत्र जारी करना मनमाना, कष्टप्रद है या एक समानांतर तंत्र का गठन करता है जो इसके संचालन को अनुचित बनाता है, न्यायालयों को स्पष्टीकरण/घोषणात्मक प्रावधान के संचालन पर आपत्तियों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, जिसका उद्देश्य केवल अपने मूल प्रावधान/कानून को लागू करना और उसे प्रभावी बनाना है। [पद 18]

उद्धृत न्यायदृष्टान्त

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, बेंगलूर बनाम मैसूर इलेक्ट्रिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड [2006] अनुपूरक 9 एससीआर 19: [2006] 12 एससीसी 448; श्याम सुंदर बनाम राम कुमार [2001] अनुपूरक 1 एससीआर 115: [2001] 8 एससीसी 24; श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय एवं अन्य बनाम डॉ. मनु एवं अन्य [2023] 7 एससीआर 366: [2023] एससीसी ऑनलाइन एससी 640; बिहार राज्य बनाम रमेश प्रसाद वर्मा [2017] 2 एससीआर 342: [2017] 5 एससीसी 665; सीआईटी बनाम गोल्ड कॉइन हेल्थ फूड (पी) लिमिटेड

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2008] 12 एससीआर 179: [2008] 9 एससीसी 622 सीआईटी बनाम वाटिका टाउनशिप (पी) लिमिटेड [2014] 12 एससीआर 1037: [2015] 1 एससीसी 1; विजय बनाम महाराष्ट्र राज्य [2006] अनुपूरक 4 एससीआर 81: [2006] 6 एससीसी 289 - संदर्भित

उद्धृत पुस्तकें और पत्रिकाएँ

न्यायमूर्ति जी.पी. सिंह, "वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत" (15 वां संस्करण लेक्सिसनेक्सस 2021) - संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

सीमा शुल्क अधिनियम, 1975; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002।

कुंजी शब्दों की सूची

सीमा शुल्क परिपत्र; व्यापारी निर्यातक; भूतलक्षी प्रभाव; सीमा शुल्क; स्पष्टीकरण; उपचारात्मक; घोषणात्मक; देय एआईआर; सीमा शुल्क वापसी; अधिसूचनाएं; समकालीन एक्सपोजिटो का सिद्धांत, निष्पक्षता का सिद्धांत; लाभकारी कानून; उद्देश्यपूर्ण निर्माण; एआईआर सीमा शुल्क वापसी; सीमा शुल्क की छूट के लिए राजकोषीय व्यवस्था; एसबीएम व्यापारी।

किससे उद्धृत प्रकरण

सिविल अपील की क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या(एँ) 7089-7090 वर्ष 2025

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर के दिनांक 01.04.2016 और 17.11.2014 के निर्णय और आदेश से, पुनर्विलोकन याचिका संख्या 1/2015 और रिट याचिका संख्या 2576/2012 में

पक्षकारों की और से उपस्थित अधिवक्तागण

अपीलार्थी की और से अधिवक्तागण :

अरविंद पी. दातार, वरिष्ठ अधिवक्ता, मयंक क्षीरसागर, आशुतोष उपाध्याय, तुषार झारवाल, पार्थ सारथी, श्रीमती अनुमितवर्मा, चैतन्य कश्यप।

प्रत्यर्थी की और से अधिवक्तागण :

केएम नटराज, ए.एस.जी., गुरुमीत सिंह मक्कड़, वत्सल जोशी, अनुज श्रीनिवास उडुपा, शिवांक प्रताप सिंह, सार्थक करोल, शिवांक प्रताप सिंह।

मेसर्स सूरज इम्पेक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति

1. अनुमति प्रदान की गयी |
2. उपर्युक्त अपील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा रिट याचिका संख्या 2576/2012 में पारित दिनांक 17.11.2014 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा सीमा शुल्क परिपत्र संख्या 35/2010-सीमा शुल्क दिनांक 17.09.2010 की प्रयोज्यता अखिल उद्योग दर (एआईआर) शुल्क ड्राबैक के प्रयोजनों के लिए, यह पाया गया कि यह संभावित प्रकृति का है। इससे उत्पन्न पुनर्विलोकन याचिका संख्या 1/2015 को उच्च न्यायालय ने दिनांक 01.04.2016 के आदेश द्वारा यह कहते हुए शुरू में ही खारिज कर दिया था कि अभिलेख में कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है। व्यथित होकर, अपीलार्थी ने वर्तमान अपील के माध्यम से उच्च न्यायालय की टिप्पणियों का विरोध किया है।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

3. उपर्युक्त मामले का तथ्यात्मक परिप्रेक्ष्य ऐसा है कि अपीलार्थी, मेसर्स सूरज इम्पेक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, जो मुख्य रूप से सोयाबीन खली के निर्यात के संचालन में लगा हुआ है, जो कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 23¹ के अंतर्गत आने वाली एक कृषि-वस्तु है, का दावा है कि एक व्यापारी निर्यातक के रूप में, इकाई सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 81/2006 दिनांक 13.07.2006 द्वारा शुरू की गई अखिल-उद्योग दर ("एआईआर") पर शुल्क ड्राबैक का दावा करने की हकदार है और वार्षिक अधिसूचना संख्या 68/2007 दिनांक 16.07.2007, संख्या 103/2008 दिनांक 29.08.2008, संख्या 84/2010 दिनांक 17.09.2010 के माध्यम से जारी है। अधिसूचना संख्या 81/2006 का खंड 5 एवं 68/2007 तथा अधिसूचना संख्या 103/2008 एवं 84/2010 के खंड 6 में दिए गए प्रावधान समान रूप से लिखे गए हैं तथा निम्नानुसार हैं:

1 सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची-अध्याय 23: खाद्य उद्योगों से अवशेष और अपशिष्ट; तैयार पशु चारा-

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

""सेनवैट सुविधा का लाभ न उठाने पर वापसी" कॉलम के नीचे दिखाई देने वाली ड्रॉबैक दर और ड्रॉबैक कैप के अंतर्गत दर्शाए गए आंकड़े कुल स्वीकार्य ड्रॉबैक (सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर घटक को मिलाकर) को दर्शाते हैं और "सेनवैट सुविधा का लाभ उठाने पर ड्रॉबैक" कॉलम के अंतर्गत दर्शाए गए आंकड़े सीमा शुल्क घटक के अंतर्गत स्वीकार्य ड्रॉबैक को दर्शाते हैं। दोनों कॉलमों के बीच का अंतर ड्रॉबैक के केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर घटक को दर्शाता है। यदि दर्शाई गई दर दोनों कॉलमों में समान है, तो इसका अर्थ यह होगा कि यह केवल सीमा शुल्क घटक से संबंधित है और निर्यातक ने सेनवैट का लाभ उठाया है या नहीं, इस पर ध्यान दिए बिना उपलब्ध है।"

4. अनुसूची² एसबीएम के निर्यात पर 1% एआईआर शुल्क वापसी की अनुमति देती है, दोनों अवसरों पर चाहे सेनवैट सुविधा (सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा का सामूहिक घटक) का लाभ उठाया गया था या नहीं। अपीलार्थी ने नियमित रूप से 2008 तक 1% एआईआर ड्यूटी ड्रॉबैक का लाभ प्राप्त किया, जब केंद्रीय उत्पाद शुल्क महानिदेशक, ["डीजीसीईआई"] इंदौर, प्रत्यर्थी क्रमांक 4 ने यह राय बनाई कि निर्माता/निर्यातक उक्त एआईआर ड्रॉबैक के हकदार नहीं थे, यदि उन्होंने पहले ही केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 18 या नियम 19(2) के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क की छूट का लाभ उठाया था। प्रत्यर्थी क्रमांक 3 ने इसलिए अपीलार्थी और इसी तरह के अन्य व्यापारी निर्यातकों को शुल्क ड्रॉबैक जारी करने से रोक दिया, जिन्होंने तब ड्रॉबैक निदेशालय और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली से अभ्यावेदन दिनांक 11/09/2013 के तहत संपर्क किया। भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ की ओर से दिनांक 13.12.2011 को दायर एक याचिका में आग्रह किया गया था कि एसबीएम निर्यात पर वापसी सीमा शुल्क घटक के कारण थी, जबकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 18 और नियम 19(2) के तहत लाभ केंद्रीय उत्पाद शुल्क भाग के लिए था, जो अलग-अलग प्रकृति के हैं। इसमें उल्लेख किया गया था कि "सीबीईसी ने स्वयं निर्यातकों के लिए यह दर समान रूप से 1% निर्धारित की थी, चाहे उन्होंने सेनवैट सुविधा का लाभ उठाया हो या नहीं,

2 सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची-अध्याय 23-स्तंभ 4 एवं 6 में दोनों मामलों के लिए 1% ड्रॉबैक दर दर्शाई गई है, चाहे सेनवैट सुविधा का लाभ लिया गया हो या नहीं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(घ) पूर्ववर्ती अधिसूचना (सं. 103/2008 सीमा शुल्क एनटी दिनांक 29.08.2008 यथा संशोधित) में यह प्रावधान किया गया था कि ड्रॉबैक अनुसूची में ड्रॉबैक की दरें उन उत्पादों पर लागू नहीं होंगी जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 18 के अनुसार निर्यात वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों पर चुकाए गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क की छूट का लाभ उठाकर निर्मित या निर्यात किए गए हों, या यदि ऐसे कच्चे माल केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 19(2) के अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना खरीदे गए हों। संदर्भ प्राप्त हुए हैं कि निर्यातकों को उपरोक्त शर्त के आधार पर 1% ड्रॉबैक से वंचित किया जा रहा है, जो कि एआईआर ड्रॉबैक का सीमा शुल्क घटक है, हालांकि निर्माताओं ने अपने इनपुट के संबंध में केवल केंद्रीय उत्पाद शुल्क की छूट ली थी/केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना इनपुट खरीदे थे; और जिन सीमा शुल्कों पर छूट नहीं दी गई है, उन्हें एआईआर ड्रॉबैक मार्ग के माध्यम से प्रदान किया जाना चाहिए।"

इस मुद्दे की जाँच की गई है। वर्तमान अधिसूचना संख्या 84/2020-सीमा शुल्क (एनटी) दिनांक 17.09.2010 में प्रावधान है कि एआईआर ड्रॉबैक का सीमा शुल्क घटक तब भी उपलब्ध होगा, जब निर्यात वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भुगतान किए गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क की छूट केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 18 के अनुसार ली गई हो, या यदि ऐसे कच्चे माल की खरीद केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 19(2) के अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना की गई हो।

6. अपीलार्थी ने दिनांक 17.09.2010 से पहले एआईआर ड्यूटी ड्रॉबैक के वितरण की मांग करते हुए आयुक्त (सीमा शुल्क) कांडला से संपर्क किया था, जिन्होंने उक्त लाभ से इनकार करते हुए कहा था कि परिपत्र का भूतलक्षी प्रभाव नहीं था बल्कि भावी प्रकृति के हैं, और लाभ केवल तभी लागू होंगे जब परिपत्र प्रभावी होगा, अर्थात् दिनांक 20.09.2010 से। 04.01.2012 के पत्र के माध्यम से, सीबीईसी (ड्रॉबैक डिविजन) ने यह भी दोहराया कि अधिसूचना संख्या 84/2010-सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 17.09.2010, दिनांक 20.09.2010 से प्रभावी हो गई थी और चूँकि शब्द स्पष्ट हैं और भावी प्रभाव रखते हैं, इसलिए इन्हें भूतलक्षी रूप से लागू करने का अनुरोध नहीं उठता। इस प्रकार, अपीलार्थी ने सीबीईसी द्वारा जारी दिनांक 04.01.2012 के पत्र को चुनौती देते हुए रिट याचिका संख्या 2576/2012 दायर की, जिसमें निम्नलिखित राहत की मांग की गई:

(1) इस याचिका को लागत के साथ स्वीकार किया जाए;

मेसर्स सूरज इम्पेक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य

(ii) उपयुक्त रिट, निर्देश या आदेश द्वारा यह घोषित किया जाए कि परिपत्र संख्या 35/2010 सीमाशुल्क दिनांक 17.09.2010 भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा।

(iii) ऐसी अन्य राहत प्रदान करें जो यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में याचिकाकर्ताओं के पक्ष में उचित समझे।

7. उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थीगण का रुख अटल रहा कि चूंकि परिपत्र संख्या 35/2010-सीमा शुल्क दिनांक 17.09.2010 में बहुत स्पष्ट रूप से प्रभावी तिथि 20.09.2010 बताई गई है, जो स्पष्ट और भावी प्रकृति का है, किसी कानून को भूतलक्षी प्रभाव देने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह तर्क दिया गया कि अधिसूचना का लाभ अपीलार्थी को नहीं दिया जा सकता क्योंकि अंतिम उत्पाद शुल्क के भुगतान से मुक्त था और सेनवैट योजना के दायरे में नहीं आता था, बल्कि अधिसूचना संख्या 103/2008 के खंड 8(ई) और (एफ) के अंतर्गत आता था, जिसके तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 19(2) के तहत लाभ अपीलार्थी द्वारा माल के निर्माण के लिए पहले ही प्राप्त किया जा चुका था। यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी का यह तर्क कि 11 करोड़ रुपये से अधिक की ड्रॉबैक्स रोकी गई थी, गलत था, क्योंकि यह कानूनी रूप से अस्वीकार्य था।
8. उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण के इस दावे पर भरोसा करते हुए रिट याचिका संख्या 2576/2012 को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि दिनांक 17.09.2010 की अधिसूचना केवल स्थिति को स्पष्ट करने या पिछली अधिसूचनाओं में निहित किसी मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए नहीं थी और यह भूतलक्षी रूप से लागू नहीं होगी क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यह दिनांक 20.09.2010 से प्रभावी होगी। अपीलार्थी द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका संख्या 1/2015 को भी दिनांक 01.04.2016 के आदेश द्वारा समय रहते खारिज कर दिया गया।

प्रस्तुतीकरण

9. अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि परिपत्र संख्या 35/2010-सीमा शुल्क दिनांक 17.09.2010, सीबीईसी द्वारा जारी पिछली अधिसूचनाओं के संदर्भ में जारी किया गया एक स्पष्टीकरणात्मक एवं हितैषी परिपत्र था, जिसका उद्देश्य सोयाबीन खली और तेल रहित केक के निर्यात पर एआईआर शुल्क ड्रॉबैक्स के सीमा शुल्क घटक का लाभ उठाने के उद्देश्य से था। स्पष्टीकरणात्मक परिपत्र दिनांक 17.09.2010 को जारी अधिसूचना में वर्ष 2006 से 2010 के लिए पिछली अधिसूचनाओं के समान

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भाषा को अपनाया गया था, जिसका उद्देश्य 2006 से 2010 तक देय शुल्क वापसी के संबंध में सभी वसूली कार्यवाहियों के उद्देश्य के लिए एक समान व्याख्या करना था। यह कहा गया है कि विभाग ने सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 81/2006 और अधिसूचना संख्या 68/2007 के खंड 7(ई) और (एफ) और अधिसूचना संख्या 103/2008 के खंड 8 में निहित समान प्रावधानों की गलत व्याख्या की है; जो उन वस्तुओं के निर्यात से संबंधित हैं जो या तो निर्मित की जाती हैं या सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 18(2) और नियम 19 के अनुसार उत्पाद के प्रसंस्करण के समय सामग्री पर चुकाए गए शुल्क में छूट का लाभ उठाकर निर्यात की जाती हैं। अपीलार्थी ने उसी परिपत्र संख्या 35/2010-सीमा शुल्क दिनांक 17.09.2010 को लागू करने के संबंध में आयुक्त (अपील) द्वारा लिए गए निर्णयों पर भरोसा किया है, यह देखते हुए कि उक्त सीबीईसी परिपत्र, जो मौजूदा कानून/अधिसूचना के प्रावधानों को स्पष्ट करता है, पहले जारी³ किए गए किसी भी कानून/अधिसूचना पर समान रूप से लागू होगा और यदि कोई निर्यातक केंद्रीय उत्पाद शुल्क का लाभ उठाता है और सीमा शुल्क हिस्से⁴ की ड्रॉबैक का दावा करता है तो कोई दोहरा लाभ नहीं होगा। अपीलार्थी का कहना है कि एक लाभकारी परिपत्र को भूतलक्षी रूप से लागू किया जाना चाहिए, जबकि एक दमनकारी परिपत्र को भावी रूप⁵ से लागू किया जाना चाहिए।

10. प्रतिपक्षी, प्रत्यर्थी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उक्त परिपत्र संख्या 35/2010-सीमाशुल्क, दिनांक 17.09.2010, के प्रथम पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि " ड्रॉबैक की दरें दिनांक 20.09.2010 से प्रभावी कर दी गई हैं" और इसलिए इन्हें किसी भी प्रकार से भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जा सकता। यह कहा गया है कि परिपत्र संख्या 35/2010-सीमाशुल्क, दिनांक 17.09.2010 की अधिसूचना संख्या 84/2010 का स्पष्टीकरण है, जिसमें इस बात पर पुनः बल दिया गया है कि अधिसूचना और परिपत्र दोनों ही भावी प्रकृति के हैं।

3 प्रदीप ओवरसीज लिमिटेड अहमदाबाद एवं अन्य, ओआईए एफ नं. एस/49-48, 49 एवं 54/सीयूएस/जेएमएन/2012 दिनांक 14.09.2012.

4 रुचि सोया इंडस्ट्रीज एवं अन्य। OIA नंबर 01 से 06/Commr(A)/JMN/2013 दिनांक 17.01.2013 के अनुसार।

5 केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, बेंगलूर बनाम मैसूर इलेक्ट्रिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड [2006] 12 एससीसी 448।

मेसर्स सूरज इम्पेक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य

11. प्रत्यर्थीगण की ओर से यह तर्क दिया गया कि सभी लाभकारी कानून आवश्यक रूप से भूतलक्षी प्रकृति के नहीं होते हैं, उन्होंने श्याम सुंदर बनाम राम कुमार⁶ के निर्णय का हवाला दिया, जिसके तहत यह माना गया था कि यद्यपि संशोधित अधिनियम नागरिकों के सामान्य लाभ के लिए एक लाभकारी कानून है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक लाभकारी कानून हमेशा भूतलक्षी रूप से लागू होता है, भले ही ऐसा कानून स्पष्ट रूप से या आवश्यक इरादे से भूतलक्षी नहीं बनाया गया हो।

चर्चा एवं विश्लेषण

12. हमने अपीलार्थी फर्म के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरविंद दातार और प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद दातार को विस्तार से सुना है और अभिलेख का अवलोकन किया है। इस मामले में यह निर्धारित करना आवश्यक है कि व्यापारिक निर्यातकों के लिए सीमा शुल्क ड्रॉबैक के दावे के प्रयोजनार्थ परिपत्र संख्या 35/2010-सीमाशुल्क दिनांक 17.09.2010 का प्रभाव भूतलक्षी है या भावी। वर्तमान मामले में, यदि परिपत्र को स्पष्टीकरणात्मक, उपचारात्मक और घोषणात्मक प्रकृति का माना जाता है, तो इसका अनुप्रयोग भूतलक्षी होगा और अपीलार्थी का 1% एआईआर पर सीमा शुल्क ड्रॉबैक का दावा प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध देय और प्रवर्तनीय होगा।
13. उक्त प्रश्न का निर्धारण करते समय, परिपत्र के सार को महत्व देना समीचीन है, न कि केवल इसके स्वरूप को, जैसा कि इस न्यायालय ने श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय एवं अन्य बनाम डॉ. मनु एवं अन्य⁷, बिहार राज्य बनाम रमेश प्रसाद वर्मा⁸, आयकर आयुक्त, अहमदाबाद बनाम गोल्ड कॉइन हेल्थ फूड (पी) लिमिटेड⁹ सहित कई निर्णयों में निर्देशित किया है। सीबीईसी परिपत्र/अधिसूचना संख्या 35/2010-सीमाशुल्क दिनांक 17.09.2010 की सावधानीपूर्वक जांच करने पर, निम्नलिखित पहलू निर्विवाद रूप से सामने आते हैं:

6 श्याम सुन्दर बनाम राम कुमार [2001] 8 एससीसी 24.

7 श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय एवं अन्य बनाम डॉ. मनु एवं अन्य, [2023] एससीसी ऑनलाइन एससी 640

8 बिहार राज्य बनाम रमेश प्रसाद वर्मा [2017] 5 एससीसी 665

9 सीआईटी बनाम गोल्ड कॉइन हेल्थ फूड (पी) लिमिटेड [2008] 9 एससीसी 622

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

- (i) यह परिपत्र निर्यातकों द्वारा प्राप्त अभ्यावेदनों एवं संदर्भों के अनुसरण में जारी किया गया था, जिन्हें सीमा शुल्क भाग के 1% की वापसी से वंचित किया जा रहा था, जबकि पिछली अधिसूचनाओं में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि वापसी इस बात पर ध्यान दिए बिना उपलब्ध थी कि निर्यातक ने सेनवैट का लाभ उठाया है या नहीं।
- (ii) परिपत्र और उससे पहले जारी अधिसूचनाओं को संयुक्त रूप से पढ़ने पर पता चलता है कि एसबीएम व्यापारी निर्यातकों को पहले दिन से परिपत्र जारी होने की तिथि तक प्राप्त लाभ में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है। संदर्भ के लिए, अपीलार्थी द्वारा दी गई तालिका नीचे दी गई है:

सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 81/2006, 68/2007, 103/2008, 84/2010 की तुलना हेतु तालिका

क्र मां क	अधिसूचना सं. 81/2006	अधिसूचना सं. 68/2007	अधिसूचना संख्या 103/2008	अधिसूचना संख्या 84/2010
1.	(5) “सेनवैट सुविधा का लाभ नहीं उठाया गया है तो ड्रॉबैक” कॉलम के नीचे दिखाई देने वाले ड्रॉबैक दर और ड्रॉबैक कैप के तहत दिखाए गए आंकड़े कुल स्वीकार्य ड्रॉबैक (सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर घटक को एक साथ) को संदर्भित करते हैं और “सेनवैट सुविधा का लाभ उठाया गया है तो	(5) “सेनवैट सुविधा का लाभ नहीं उठाया गया है तो ड्रॉबैक” कॉलम के नीचे दिखाई देने वाली ड्रॉबैक दर और ड्रॉबैक कैप के तहत दिखाए गए आंकड़े कुल ड्रॉबैक (सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर घटक एक साथ) को संदर्भित करते हैं और “सेनवैट सुविधा का लाभ उठाया गया है	(6) “सेनवैट सुविधा का लाभ नहीं उठाए जाने पर ड्रॉबैक” कॉलम के नीचे दिखाई देने वाली ड्रॉबैक दर और ड्रॉबैक कैप के तहत दिखाए गए आंकड़े कुल ड्रॉबैक (सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर घटक एक साथ) को संदर्भित करते हैं और	(6) “सेनवैट सुविधा का लाभ नहीं उठाए जाने पर ड्रॉबैक” कॉलम के नीचे दिखाई देने वाली ड्रॉबैक दर और ड्रॉबैक कैप के तहत दिखाए गए आंकड़े कुल ड्रॉबैक (सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर घटक एक साथ) को संदर्भित करते हैं और “सेनवैट सुविधा का लाभ उठाए जाने पर ड्रॉबैक” कॉलम के तहत दिखाई देने वाले

मेसर्स सूरज इम्पेक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य

ड्रॉबैक" कॉलम के तहत दिखाई देने वाले आंकड़े सीमा शुल्क घटक के तहत अनुमत ड्रॉबैक को संदर्भित करते हैं। दो कॉलम के बीच का अंतर ड्रॉबैक के केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर घटक को दर्शाता है। यदि दोनों कॉलम में दर्शाई गई दर समान है, तो इसका मतलब होगा कि यह केवल सीमा शुल्क घटक से संबंधित है और इस बात की परवाह किए बिना उपलब्ध है कि निर्यातक ने सेनवैट का लाभ उठाया है या नहीं।	तो ड्रॉबैक" कॉलम के तहत दिखाई देने वाले आंकड़े कस्टम घटक के तहत स्वीकार्य ड्रॉबैक को संदर्भित करते हैं। दो कॉलम के बीच का अंतर ड्रॉबैक के केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर घटक को दर्शाता है। यदि दोनों कॉलम में दर्शाई गई दर समान है, तो यह माना जाएगा कि यह केवल सीमा शुल्क घटक से संबंधित है और इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि निर्यातक ने सेनवैट का लाभ उठाया है या नहीं।	"सेनवैट सुविधा का लाभ उठाए जाने पर ड्रॉबैक" कॉलम के तहत दिखाई देने वाले आंकड़े कस्टम घटक के तहत स्वीकार्य ड्रॉबैक को संदर्भित करते हैं। दो कॉलम के बीच का अंतर ड्रॉबैक के केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर घटक को दर्शाता है। यदि दोनों कॉलम में दर्शाई गई दर समान है, तो इसका मतलब यह होगा कि यह केवल सीमा शुल्क घटक से संबंधित है और इस बात पर ध्यान दिए बिना उपलब्ध है कि निर्यातक ने सेनवैट का लाभ उठाया है या नहीं।	आंकड़े कस्टम घटक के तहत स्वीकार्य ड्रॉबैक को संदर्भित करते हैं। दो कॉलम के बीच का अंतर ड्रॉबैक के केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर घटक को दर्शाता है। यदि दोनों कॉलम में दर्शाई गई दर समान है, तो इसका मतलब यह होगा कि यह केवल सीमा शुल्क घटक से संबंधित है और इस बात पर ध्यान दिए बिना उपलब्ध है कि निर्यातक ने सेनवैट का लाभ उठाया है या नहीं।
--	--	---	---

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2.	(7) उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिअदायगी की दरें किसी वस्तु या उत्पाद के निर्यात पर लागू नहीं होंगी यदि ऐसी वस्तु या उत्पाद - (ई) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 18 के अनुसार ऐसी वस्तु या उत्पाद के विनिर्माण या प्रसंस्करण में प्रयुक्त सामग्री पर भुगतान किए गए शुल्क की छूट का लाभ उठाकर विनिर्मित या निर्यातित; (एफ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 19 के उप-नियम (2) के अनुसार निर्मित या निर्यातित;	(7) उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिअदायगी की दरें किसी वस्तु या उत्पाद के निर्यात पर लागू नहीं होंगी यदि ऐसी वस्तु या उत्पाद - (ई) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 18 के अनुसार ऐसी वस्तु या उत्पाद के विनिर्माण या प्रसंस्करण में प्रयुक्त सामग्री पर भुगतान किए गए शुल्क की छूट का लाभ उठाकर विनिर्मित या निर्यातित; (एफ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 19 के उप-नियम (2) के अनुसार निर्मित या निर्यातित;	(8) उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिअदायगी की दरें किसी वस्तु या उत्पाद के निर्यात पर लागू नहीं होंगी यदि ऐसी वस्तु या उत्पाद - (ई) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 18 के अनुसार ऐसी वस्तु या उत्पाद के विनिर्माण या प्रसंस्करण में प्रयुक्त सामग्री पर भुगतान किए गए शुल्क की छूट का लाभ उठाकर विनिर्मित या निर्यातित; (एफ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 19 के उप-नियम (2) के अनुसार निर्मित या निर्यातित;	(9) उक्त अनुसूची के स्तंभ (4) और (5) में निर्दिष्ट प्रतिअदायगी की दरें और अधिकतम सीमा किसी वस्तु या उत्पाद के निर्यात पर लागू नहीं होगी यदि ऐसी वस्तु या उत्पाद - (ए) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 18 के अनुसार ऐसी वस्तु या उत्पाद के विनिर्माण या प्रसंस्करण में प्रयुक्त सामग्री पर भुगतान किए गए शुल्क की छूट का लाभ उठाकर विनिर्मित या निर्यातित; (ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 19 के उप-नियम (2) के अनुसार निर्मित या निर्यातित;
----	---	---	---	--

मेसर्स सूरज इम्पेक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य

- (iii) यह परिपत्र व्यापारिक निर्यातकों को कोई नया अधिकार नहीं देता है या विभाग पर कोई बोझ नहीं डालता है, सिवाय इसके कि पिछली अधिसूचनाओं के तहत उन पर पहले से ही बोझ डाला गया है।
14. वैसे भी, सीबीईसी परिपत्र संख्या 35/2010-सीमा शुल्क दिनांक 17.09.2010 की प्रकृति और सार का एक सूक्ष्म विश्लेषण सबसे पहले यह स्पष्ट कर देगा कि पिछले सीबीईसी अधिसूचनाओं में कोई मूलभूत संशोधन नहीं किया गया है। परिपत्र की भाषा पिछले अधिसूचनाओं के दायरे का विस्तार या परिवर्तन नहीं करती है, लेकिन व्यापारी निर्यातकों के दावे को पुख्ता करती है, जो 2007 से एआईआर सीमा शुल्क वापसी का लाभ प्राप्त करने के हकदार थे। परिपत्र दिनांक 17.09.2010 अपने आप में और स्पष्ट करता है कि संबंधित निर्माताओं को जो सीमा शुल्क बिना छूट के रह गए हैं, उन्हें केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 18 या 19 के अनुसार प्रसंस्करण के समय केंद्रीय उत्पाद शुल्क की छूट के साथ या उसके बिना एआईआर वापसी मार्ग के माध्यम से प्रदान किया जाना चाहिए।
15. पिछले अधिसूचनाओं की तुलना में दिनांक 17.09.2010 के संबंधित परिपत्र को देखते हुए, कोई नया अधिकार या लाभ नहीं बनाया गया, लेकिन अपीलार्थी और इसी तरह के व्यापारिक निर्यातकों को मिलने वाले लाभ का वास्तविक दायरा एक बार में ही स्पष्ट और तय कर दिया गया। उक्त परिपत्र के आधार पर, यह केवल स्पष्ट किया गया था कि पूर्व अधिसूचना के तहत इंगित 1% सीमा शुल्क ड्रॉबैक का लाभ एसबीएम व्यापारियों को सेनवैट का लाभ उठाने के बावजूद उपलब्ध था। प्रकृति में व्याख्यात्मक होने के कारण, संबंधित परिपत्र को सीमा शुल्क की छूट के लिए एक नए राजकोषीय शासन को अपनाने के रूप में नहीं समझा जा सकता है, जिसका उद्देश्य निहित अधिकारों को प्रभावित करना या विभाग पर नया बोझ डालना है। यह पिछले अधिसूचनाओं के अर्थ और सीमा के बारे में अस्पष्टता को हल करने के लिए पारित किया गया था। इसी कारण से, विभाग द्वारा ऐसे प्रावधान या निर्देश का संचालन केवल भूतलक्षी प्रकृति का हो सकता है, ताकि सीबीआईसी द्वारा जारी अधिसूचना के उद्देश्य को प्रभावी किया जा सके।
16. यह भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि परिपत्र के आधार पर, सीबीईसी का इरादा अपीलार्थी और इसी तरह के व्यापारिक निर्यातकों को दिनांक 20.09.2010 से पहले सीमा शुल्क वापसी के लाभ से वंचित करना था। हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, यह समझ से बाहर है कि पिछली अधिसूचनाएं दिनांक 17.09.2020 के परिपत्र में

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बताए गए तरीके से निर्दिष्ट और स्पष्ट किए जाने के अलावा किसी अन्य तरीके से परिचालन में होंगी, और यह विभाग का मामला नहीं है कि सम तिथि की अधिसूचना संख्या 84/2010-सीमा शुल्क के साथ पठित दिनांक 17.09.2020 के परिपत्र जारी होने से पहले, वर्ष 2006 से 2009 की अधिसूचनाएं परिचालन में नहीं थीं।

17. पिछली अधिसूचनाओं के संदर्भ में "चाहिए" अभिव्यक्ति का प्रयोग भी जानबूझकर और घोषणात्मक प्रकृति का है, और इसका उद्देश्य सीबीईसी परिपत्र की व्याख्या में उत्पन्न होने वाली सभी/किसी भी अस्पष्टता को दूर करना है। "हमेशा से ही इसका आशय माना जाएगा" या "कभी भी शामिल नहीं माना जाएगा" जैसी भाषा घोषणात्मक है और स्पष्ट रूप से भूतलक्षी¹⁰ है और यह स्पष्ट है कि सीबीईसी ने उक्त परिपत्र जारी करते समय उक्त शब्दावली को अपनाते समय अपने आशय का ध्यान रखा था। इस संबंध में, "समकालीन एक्सपोजिटो" का वैधानिक सिद्धांत, जो समकालीन व्याख्या को ध्यान में रखता है, भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। जहाँ तक सीबीईसी परिपत्र दिनांक 17.09.2010 को पहले से लागू अधिसूचनाओं के साथ पढ़ने पर, पूर्ववर्ती तथ्यों के आधार पर कोई भावी लाभ प्रदान नहीं किया गया, बल्कि अपीलार्थी और इसी तरह के निर्यातकों के हित में दिनांक 13.07.2006 की पहली अधिसूचना संख्या 81/2006 के माध्यम से शुरू किए गए लाभ के दायरे को स्थापित किया गया। इस साधारण कारण से, उक्त सीबीईसी परिपत्र दिनांक 17.09.2010 का प्रवर्तन भूतलक्षी होना चाहिए।
18. विभाग द्वारा यह तर्क दिया जा सकता है कि प्रत्येक लाभकारी कानून भूतलक्षी प्रकृति का नहीं होता; हालाँकि, किसी कानून की भूतलक्षीता का परीक्षण "निष्पक्षता" के सिद्धांत की कसौटी पर किया जाना चाहिए। किसी लाभकारी कानून का आधार यह सुनिश्चित करना है कि लाभ एकरूप और पूर्ण हो, जो भविष्योन्मुखी प्रकृति का हो सकता है, लेकिन जब एक व्यक्ति को होने वाला ऐसा लाभ दूसरे व्यक्ति पर कोई अनुचित भार नहीं डालता है, तो उद्देश्यपूर्ण निर्माण को भूतलक्षी प्रभाव¹¹ देने वाला माना जा सकता है¹¹। इसलिए यह स्पष्ट करना उचित है कि ऐसे मामलों को छोड़कर जहाँ ऐसे अधिनियमन या परिपत्रों का जारी होना मनमाना, कष्टकारी हो या एक समानांतर तंत्र का गठन करता हो जो इसके संचालन को अनुचित बनाता हो,

10 न्यायमूर्ति जी.पी. सिंह, "वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत"

(15 वां संस्करण लेक्सिसनेक्सस 2021)।

11 सीआईटी बनाम वाटिका टाउनशिप (पी) लिमिटेड [2015] 1 एससीसी 1 और विजय बनाम महाराष्ट्र राज्य [2006] 6 एससीसी 289

मेसर्स सूरज इम्पेक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य

न्यायालयों को किसी स्पष्टीकरणात्मक/घोषणात्मक प्रावधान के संचालन पर आपत्तियों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, जिसका उद्देश्य केवल अपने मूल प्रावधान/कानून को लागू करना और उसे प्रभावी बनाना है।

19. वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण के इस तर्क पर पूरी तरह भरोसा करके एक सतही निर्णय लिया कि चूँकि संबंधित परिपत्र दिनांक 20.09.2010 से प्रभावी होना था, इसलिए यह भावी प्रकृति का था। उच्च न्यायालय ने सीबीईसी परिपत्र के औचित्य और विभाग द्वारा बार-बार जारी की गई अधिसूचनाओं के आशय को नहीं समझा और दिनांक 17.11.2014 को अनुचित जल्दबाजी में आलोच्य आदेश पारित कर दिया। इसके बाद, उसने पुनर्विलोकन याचिका को शुरू में ही खारिज करके, अभिलेख में दर्ज त्रुटि को सुधारने से भी इनकार कर दिया।
20. इस प्रकार, ऊपर दर्शाए गए कारणों से, रिट याचिका संख्या 2576/2012 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा पारित दिनांक 17.11.2014 के आक्षेपित निर्णय और आदेश और आर.पी. संख्या 1/2015 में दिनांक 01.04.2016 के आदेश को अपास्त किया जाता है, और अपीलार्थी अखिल उद्योग दर (एआईआर) शुल्क ड्रॉबैक के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा जारी परिपत्र संख्या 35/2010-सीमा शुल्क दिनांक 17.09.2010 को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करते हुए, वर्ष 2008 से एसबीएम के अपने निर्यात पर 1% एआईआर सीमा शुल्क ड्रॉबैक का लाभ पाने का हकदार है।
21. अपीलें निराकृत की जाती हैं।
22. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, को निराकृत किया जाता है।

मामले का परिणाम: अपीलें निराकृत की जाती हैं।

(अनुवादक - श्री रविन्द्र गरासिया)

अस्वीकरण

स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए मान्य होगा।